भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3737

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का कल्याण

3737. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनौपचारिक कामगारों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में श्रम कानून प्रवर्तन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही ठोस कार्रवाई का ब्यौरा क्या है कि उक्त कमजोर श्रेणी के कामगारों के लिए न्यनूतम मजदूरी मानदंड, उचित कार्य दशाओं और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को बरकरार रखा जाए;

(ग) सरकार द्वारा अनौपचारिक कामगारों विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है और उनकी वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों के कम संख्या में प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उनको पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और लाभ सहित औपचारिक क्षेत्र में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के बीच मजदूरी में निरंतर अंतर के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने और विशेषकर अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों हेतु समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न संगठनों जैसे मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), महानिदेशालय,फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) आदि के माध्यम से किया जाता है।

सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया है कि कामगारों को समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर मजदूरी न मिले। अधिनियम में विभिन्न उद्योगों में अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी के उपबंध हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबंध एससी/एसटी समुदायों के कामगारों पर भी लागू होते हैं।

सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों समेत औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), जीवन और दुर्घटना बीमा के लिए क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)। पेंशन लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), खाद्य सुरक्षा के लिए वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), और कौशल विकास पहल जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार गारंटी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आदि कुछ उदाहरण हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों समेत देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमजीएनआरईजीएस, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों के रोजगारों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर की जानकारी, जॉब की खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि समेत करियर से संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से उपलब्ध है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से और अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति भी उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजे औरई) ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (डीएनटी), सफाई कर्मचारियों सहित कूड़ा इकट्ठा करने वालों को पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूह के कौशल को बढ़ाना और उन्हें वेतन-रोजगार और स्वरोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाना है।

इस योजना को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन-रोजगार या स्वरोजगार में नियोजन के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों/एसएचजी को आय-अर्जक गतिविधियों और स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में 25 नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क द्वारा "एससी/एसटी वर्ग के रोजगार की खोज करने वालों के लिए कल्याणकारी योजना" को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि पूर्व भर्ती प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श और कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के माध्यम से एससी/एसटी रोजगार की खोज करने वालों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके और उन्हें श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके।

*****